

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

विषय:- ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के आवियाना शुल्क स्थगन करने बाबत।

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(3) आ.प्र.एवं सआ/ओला./2016/4248-268 दिनांक 27.04.2016 द्वारा राज्य के 11 जिले अलवर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू जोधपुर, करौली एवं नागौर की 22 तहसीलों के 303 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। (अधिसूचना की प्रति संलग्न है)

अतः अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में प्रभावित काश्तकारों का आवियाना शुल्क स्थगन किया जा, कर इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी प्रेषित कराने का श्रम करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(Signature)
(रोहित कुमार)
शासन सचिव

शासन सचिव,
जल संसाधन विभाग,
राजस्थान जयपुर।

एफ 1(3)आप्र.एवं सहा./ओला./2016/4482
जयपुर दिनांक 30.4.2016